

# उपायुक्त का कार्यालय, रामगढ़।

(जिला जल एवं स्वच्छता समिति, रामगढ़)

## संविदा पर नियुक्ति संबन्धित सूचना

विज्ञापन संख्या - 02

दिनांक- 25.10.16

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक SBM (G) स्थापना-1233/2015(P-I)-1109/SBM(G) दिनांक 28.09.16 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम 2014 के प्रावधानों को लागू करने तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश के आलोक में निरूपित योजना के कार्यान्वयन हेतु BPMU स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति रामगढ़ अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल रामगढ़ के अधीन संविदा पर प्रखण्ड समन्वयक - 06 पद, Social Mobilizer - 06 पद की संविदा आधारित नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

1. आरक्षण कोटीवार रिक्त पदों की संख्या शैक्षणिक योग्यता एवं मासिक मानदेय निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	पद	कुल पद	आरक्षण	आहर्ता / शैक्षणिक योग्यता	परिलब्धि/ मानदेय
1	प्रखण्ड समन्वयक	06	अनारक्षित-03 अनु0 ज0 जा0-02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01	<p><b>अनिवार्य योग्यता:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण हों।</li> <li>कम्प्यूटर दक्षता-कम्प्यूटर का Basic Operational Knowledge (MS -Office, Email etc) की जानकारी हो।</li> </ul> <p><b>कार्यअनुभव:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्वच्छता के क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों का कार्य से संबंधित अनुभव होना आवश्यक है।</li> </ul> <p><b>आयसीमा:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01/10/2016 तक न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष अधिकतम आयु सीमा- अनारक्षित-35 वर्ष -पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-37 वर्ष</li> <li>-अनुसूचित जाति /जनजाति-40 वर्ष</li> <li>दिव्यांग/महिला पिछड़ा वर्ग/महिला 0पि0वर्ग/महिला सामान्य अभ्यर्थी सरकारी प्रक्रिया अनुसार उम्र में छुट देय है।</li> </ul>	रु0 10000.00 प्रतिमाह
2	Social Mobilizer	06	अनारक्षित-03 अनु0 ज0 जा0-02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01	<p><b>अनिवार्य योग्यता:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय में इंटर/(10+2) उत्तीर्ण हों।</li> <li>कम्प्यूटर दक्षता-कम्प्यूटर का Basic Operational Knowledge (MS -Office, Email etc) की जानकारी हो।</li> </ul> <p><b>कार्यअनुभव:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्वच्छता के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्य से संबंधित अनुभव होना आवश्यक है।</li> </ul> <p><b>आयसीमा:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01/10/2016 तक न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष अधिकतम आयु सीमा- अनारक्षित-35 वर्ष -पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-37 वर्ष</li> <li>-अनुसूचित जाति /जनजाति-40 वर्ष</li> <li>दिव्यांग/महिला पिछड़ा वर्ग/महिला 0पि0वर्ग/महिला सामान्य अभ्यर्थी सरकारी प्रक्रिया अनुसार उम्र में छुट देय है।</li> </ul>	रु0 8000.00 प्रतिमाह

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि - 16.11.2016 है। आवेदक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर अपने सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति एवं अपने अनुभव प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन Email के माध्यम से **Email ID- recruitment.ramdwsd@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। एक अभियार्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन पत्र समर्पित कर सकेगा।

सेवा शर्तें एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन प्रपत्र [www.ramgarh.nic.in](http://www.ramgarh.nic.in) पर देखा जा सकता है।

नोट : वैसे आवेदक जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड सरकार के अधीन संविदा के आधार पर कार्य कर रहें हो वो भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। उनके उम्मीदवारी (आयुसीमा के छुट) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता-सह-सदस्य-सचिव,  
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, रामगढ़।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,  
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, रामगढ़।

**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  
आवेदन प्रपत्र**

1. सामान्य जानकारी

आवेदित पद का नाम		फोटो
जिला का नाम जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है		
आवेदक का नाम		
आवेदक के पिता का नाम		
आवेदक का वर्तमान पता		
आवेदक का स्थायी पता स्थानीय नीति के अंतर्गत आने हेतु अनुमण्डलीय पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की जानकारी साथ में अंकित करें।		
जन्मतिथि / उम्र		
मोबाईल नम्बर / फोन न.		
ईमेल आईडी		
लिंग	<input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> स्त्री	
आवेदक का आरक्षण श्रेणी	<input type="checkbox"/> अनुसूचित जाति <input type="checkbox"/> अनुसूचित जनजाति <input type="checkbox"/> पिछड़ा जाति <input type="checkbox"/> अत्यंत पिछड़ी जाति <input type="checkbox"/> सामान्य	
निर्गत जाति प्रमाण पत्र का नम्बर तथा दिनांक	प्रमाण पत्र संख्या:- निर्गतप्रमाण पत्र की तिथि	

2. आवेदक की वरीय/अंतिम शैक्षणिक योग्यता:-

क्रमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड/यूनिवर्सिटी का नाम	वर्ष	रोलनम्बर/रोलकोड	कुल प्राप्तांक	परीक्षा का कुल पूर्णांक

3. कम्प्यूटर से संबंधित विषय की जानकारी:-

1	आवेदक कम्प्यूटर से संबंधित विषय की जानकारी दें।	MS Word	MS Excel	PPT	अन्य

4. कार्य अनुभव से संबंधित जानकारी :-

1	संस्था का नाम, पता एवं दूरभाष सं०	
	धारित पद का नाम	
	कार्य अवधि	
	धारित पद में किए गए कार्य/कार्य जिम्मेदारी/उपलब्धि	
	मानदेय के रूप में प्राप्त कुल वार्षिक राशि	
2	संस्था का नाम, पता दूरभाष सं०	
	धारित पद का नाम	
	कार्य अवधि	
	धारित पद में किए गए कार्य/कार्य जिम्मेदारी/उपलब्धि	
	मानदेय के रूप में प्राप्त कुल वार्षिक राशि	
3	संस्था का नाम, पता दूरभाष सं०	
	धारित पद का नाम	
	कार्य अवधि	
	धारित पद में किए गए कार्य/कार्य जिम्मेदारी/उपलब्धि	
	मानदेय के रूप में प्राप्त कुल वार्षिक राशि	
	जिम्मेदारी / उपलब्धि	
	मानदेय के रूप में प्राप्त कुल वार्षिक राशि	

5. भाषा से संबंधित जानकारी :-

आवेदक भाषा संबंधित विषय की जानकारी दें।	भाषा	पढ़ना	लिखना	बोलना/संवाद करना	समझना

6. अन्य जानकारी :-

आवेदक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी :-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई दी गई जानकारी सत्य है तथा किसी भी समय गलत पाये जाने पर मेरे उपर कानूनी कारवाई की जा सकती है।

नोट:- 1 Shortlisted आवेदकों को साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के समय अपने साथ उपरोक्त प्रपत्र में उपलब्ध/अंकित की गई जानकारी के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, कार्य जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र आदि सं संबंधित Certificates स्वयं के साथ जांच हेतु आवश्यक रूप से साथ लाना अनिवार्य है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर

## नियुक्ति संबंधी शर्तें निम्नवत हैं:-

1. जिला स्तरीय समन्वयकों/कर्मियों के पद के आवेदन हेतु आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार होगी।
2. राष्ट्रीयता :- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 3.1 पदों में आरक्षण- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा पदों के आरक्षण के संबंध में निर्गत अद्यतन प्रपत्र के अनुसार किया गया है।
- 3.2 शारीरिक विकलांग कोटि के लिए श्रेणित आरक्षण का अनुपालन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन प्रपत्र के अनुसार किया जाएगा। यह संकल्प संख्या 3198 दिनांक- 18.04.2016 एवं 4063 दिनांक- 18.05.2016 के अनुरूप किया जाएगा।
- 3.3 स्थानीय नीति का अनुपालन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्गत पत्र के अनुसार किया जायेगा।
3. परिलब्धि:- विभिन्न पदों की परिलब्धियाँ निम्नवत होगी:-
  - 4.1 परामर्शी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, परामर्शी M&E cum MIS - 29,000/- रु० प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
  - 4.2 लेखाकार - 18000/- रु० प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
  - 4.3 डाटा इंट्री ऑपरेटर - 15,000/- रु० प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
4. नियम 4 में निर्धारित परिलब्धि/मानदेय राशि समेकित परिलब्धि/मानदेय है तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु कर्तव्य से जुड़े परिभ्रमण आदि के लिए यात्रा भत्ता निम्नलिखित रूप से देय होगा:-


(क) जिला स्तरीय पदाधिकारी/समन्वयक/परामर्शदाता/डाटा इंट्री ऑपरेटर को जिला मुख्यालय से बाहर यात्रा 3rd AC का परिवहन भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान प्रशासनिक व्यय मद की राशि से किया जा सकेगा। यदि 3rd AC का आरक्षण उपलब्ध नहीं होता है तो वैसी स्थिति में 2nd AC से यात्रा की अनुमति संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा दी जायेगी।
5. नियुक्ति का प्रकार, पदस्थापन स्थल, नियुक्ति की अवधि/नियुक्ति का नवीकरण तथा छुट्टियाँ आदि:-
  - 6.1 सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
  - 6.2 प्रारंभिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी। इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा उनके कार्य की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात PMU/SWSM के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
  - 6.3 संविदा के आधार पर की गयी इस नियुक्ति का कार्य समीक्षा के उपरान्त संतोषजनक होने पर सेवा का नवीकरण अधिकतम एक वर्ष किया जा सकेगा। अतिविशेष परिस्थिति निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के


आदेश से एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी एवं किसी भी परिस्थिति में यह संविदा का नविनीकरण अधिकतम दो वर्ष तक लिए की जा सकती है।

- 6.4 यह अनुबंध पूर्णतया औपबंधिक तथा आवश्यकता आधारित है तथा किसी भी समय एक माह की नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। कार्य का मुल्यांकन प्रत्येक साल किया जायेगा तथा कार्य की आवश्यकता तथा कार्य के आधार पर योग्यता अनुरूप अनुबंध की अवधि बढ़ायी जा सकेगी। वेतन, परिलब्धि पुनरीक्षण/ वृद्धि के मामले राज्य स्तर पर Director, SBM(G) झारखण्ड द्वारा लिया जायेगा।
- 6.5 संविदा के आधार पर उपरोक्त नियुक्ति का प्रकार कंडिका (6.2) एवं (6.3) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
7. नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नविनीकरण किया जा सकेगा।
8. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
9. संविदा आधारित समन्वयकों को एक कार्य वर्ष में 16 दिनों की छुट्टियां मात्र देय होगी।
10. कार्यक्रम के कार्यकाल के पूर्ण होने पर संविदा पर की गयी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
11. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि - 16.11.16 । आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र में भरकर अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अपने अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन Email के माध्यम से Email ID- **recruitment.ramdwsd@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन पत्र समर्पित कर सकेगा।

नोट : जैसे आवेदक जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड सरकार के अधीन संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हो वो भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। उनके उम्मीदवारी (आयुसीमा में छुट) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि के संबंध में चयनित आवेदकों को Email के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। समिति के द्वारा किसी भी उम्मीदवार की पात्रता को स्वीकार, निरस्त करने एवं चयन संबंधित आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

  
कार्यपालक अभियंता-सह-सदस्य-सचिव,  
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,  
रामगढ़।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,  
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,  
रामगढ़।